न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 98/2017/अपील/एल.आर.एक्ट/बांरा
दायरा दिनांकः 3.8.2017
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

1. राधेश्याम पुत्र रामलाल जाति गूर्जर निवासी खेडली केसो तहसील बारां जिला बांरा

...अपीलाट्स

बनाम

1. तुलसी बाई पत्नी स्व0 रामलाल
2. पंसूरी बाई पुत्री स्व0 रामलाल
   जाति गूर्जर निवासीगण खेडली केसो तहसील बांरा जिला बांरा हाल निवासीगण ईश्वरपुरा झाडोल तहसील मांगरोल जिला बांरा (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांरा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री गुलाब सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री विद्याशंकर गोस्वामी अभिभाषक रेस्पो0 क्रम 1 व 2

निर्णय

दिनांक 7.2.2019

अपीलार्थी ने न्यायालय तहसीलदार बांरा जिला बांरा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 127/15 प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 135 (2) एलआरएक्ट बउनवान राधेश्याम बनाम तुलसीबाई वगेरा मे पारित निर्णय दिनांक 19.4.17 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि राधेश्याम द्वारा मृतक रामलाल का गोदपुत्र होने व रामलाल का देहान्त दिनांक 15.10.1993 को हो जाने उपरांत वाके माल मजरावता की खसरा सं0 97 की रकबा 1.59 है0 मृतक रामलाल के 1/4 हिस्से की आराजी का नामान्तरकरण अपने नाम दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार बांरा के यहां पेश किया गया। तहसीलदार बांरा द्वारा निर्णय दिनांक 19.4.2017 से जिस प्रकार ग्राम खेडली केसो का नामा. सं0 235 मृतक रामलाल के बजाय पत्नी तुलसां व पुत्री पंसूरी के नाम खोला गया है तदानुसार ही ग्राम मजरावता के ख0 नं0 97 रकबा 1.59 है0 के हिस्से 1/4 पर रामलाल (मृतक)

के बजाय उत्तराधिकारी पत्नी तुलसां व पुत्री पंसुरी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार बारां के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे अपील पेश कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यो एव विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 व 2 एवं उनके गवाह डी डब्लू 3 से अपीलांट के अधिवक्ता को प्रतिपरीक्षा की प्रार्थना को जिस प्रकार से खारिज कर दिया वह विधि विरूद्ध एवं अपीलांट के हितो के प्रतिकूल है। अपीलांट को रेस्पो0 के गवाह से जिरह करने हेतु आवेदन पत्र को स्वीकार करना चाहिये था जो उन्होने नही करके अपने अधिकार क्षेत्र का दुरूप्योग किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जे की जांच नही की जो नामा0 संबधी विधिक नियमो के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरासत संबधी प्रश्न को तय किया है जिसका अधिकार क्षेत्र उनको प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार के परे जाकर अपीलांट का स्व0 रामलाल एवं रेस्पो0 क्रम–1 का दत्तक पुत्र होने के प्रश्न को निर्णित किया है वह उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। दत्तक पुत्र होने अथवा न होने का प्रश्न केवल मात्र सिविल कोर्ट द्वारा तय किया जा सकता है किसी भी राजस्व न्यायालय द्वारा तय नही किया जा सकता है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारों को सक्षम सिविल न्यायालय से दत्तक पुत्र होने अथवा न होने का प्रश्न निर्णित कराने का निर्देश तथा तब तक नामा0 को विवादित दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिये था। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर पारित जेरअपील आदेश दिनांक 19.4.17 अपास्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे लिखित बहस पेश की जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि स्वर्गीय रामलाल की ग्राम खेडली केसो मे स्थित आराजी ख0 नं0 97 रकबा 1.59 है0 मे 1/4 हिस्से का खातेदार था। रामलाल व उनकी पत्नी रेस्पो0 क्रम–1 के कोई सुलभी पुत्र नही था केवल पुत्री रेस्पो0 क्रम 2 थी इसलिये रामगोपाल ने अपीलांट को ज वह 10–12 वर्ष का था तभी अपीलांट के प्राकृतिक पिता रंगलाल एवं माता औंकारीबाई से स्वेच्छापूर्व जाति मे प्रचलित रीति रिवाजो के अनुसार गोद लिया था। उक्त दोनो ही अपीलांट का लालन पालन किया। रामलाल की मृत्यु उपरांत अपीलांट ने ही उनका कियाकम, अंतिम संस्कार किया। अपीलांट एंव रेस्पो0 क्रम–1 व 2 ने आपसी सहमति से पारिवारिक समझोता किया जिसके अनुसार रेस्पो0 क्रम–1 व 2 ने अपीलांट को 4 बीघा जमीन काश्त करने के लिये दी एवं शेष 4 बीघा के बारे मे उन्होने यह कहा कि रेस्पो0 क्रम 1 का जवाई रेस्पो0 क्रम 2 का पति राधेश्याम या तो स्वंय काश्त करेगा अथवा मुनाफा पर काश्त करायेगा जिसको अपीलांट ने स्वीकार कर लिया। तदानुसार अपीलांट 1994 से 4 बीघा भूमि पर काश्त काश्त है। अपीलांट के ड्राईविंग लाईसेंस, परिवार राशन कार्ड मे उसके पिता का नाम रामलाल परिवार के सदस्य के रूप मे दर्ज है। रेस्पो0 क्रम–1 व 2 ने तहसीलदार बांरा से उनके नाम फौती इन्तकाल सं0 253 से केवल अपना नाम बहैसियत वारिसान स्व0 रामलाल दर्ज करा लिया इस समय रेस्पो0 ने अपीलांट को रेस्पो0 क्रम–1 तथा स्वं0 रामलाल द्वारा गोद लिये जाने एवं तदानुसार उनको गोद पुत्र होने के तथ्य को छुपा लिया तथा नामा0 तस्दीक होने के पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नही होने दिया। इसलिये इन्तकाल नम्बर 235 का कोई ज्ञान नही हुआ। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 क्रम–1 व 2 एवं उनके गवाह डीडब्लू 3 से अपीलांट के अधिवक्ता को प्रतिपरीक्षा की प्रार्थना को जिस प्रकार से खारिज कर दिया वह विधि विरूद्ध और अपीलांट के हितो के प्रतिकूल है। अधी0 न्यायालय को रेस्पो0 के गवाह से जिरह करने हेतु आवेदन पत्र को स्वीकार करना चाहिये था जो उन्होने नही कर अपने अधिकार क्षैत्र का दुरूपयोग किया है। भूमि के कब्जे की जांच नही की नामा0 संबधी विधिक एवं नियमो के विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरासत संबधी प्रश्न को तय किया है जिसका अधिकार क्षेत्र उनको प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर अपीलांट का स्व0 रामलाल एंव रेस्पो0 क्रम–1 का दत्तक पुत्र होने के प्रश्न को निर्णित किया है वह उनके अधिकार क्षेत्र से परे है। उक्त प्रश्न केवल सिविल कोर्ट द्वारा ही तय किया जा सकता

है राजस्व न्यायालय द्वारा तय नही किया जा सकता। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो को सक्षम सिविल न्यायालय से दत्तक पुत्र होने अथवा ना होने के प्रश्न को निर्णित कराने का निर्देश तथा तब तक नामा0 को विवादित दर्ज करने का आदेश दिया जाना चाहिये था। उक्त तथ्यो के परिपेक्ष्य मे जेरअपील आदेश 19.4.2017 निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 कम–1 व 2 के अभिभाषक ने बहस के दोरान कथन किया कि अपीलांट अपने आपको स्व0 रामलाल का गोद/दत्तक, पुत्र बताता है। स्व0 रामलाल की दो गांव मजरावदा व खेडली केसो मे भूमि अवस्थित थी। ग्राम खेडलीकेसो मे स्थिति भूमि मे वह 1/4 हिस्से का खातेदार था। तहसीलदार बांरा द्वारा स्व0 रामलाल के हिस्से की भूमियों का विरासत का नामान्तरकरण मृतक के विधिक वारिसान उसकी पत्नी व पुत्री (रेस्पो0) के नाम तस्दीक करने का आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष निहित नही है। तहसीलदार बांरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.4.17 की अपील 27.7.17 को पेश की है जो अवधि बाधित है तथा विलम्ब अवधि क्षम्य का कोई युक्तियुक्त कारण नही है अतः अपील मियाद बाहर होने से प्रथम दृष्टया मियाद के बिन्दू पर ही खारिज योग्य है। बहस मे यह भी प्रकट किया कि गोदनामा रजिस्टर्ड होना चाहिये जो नही है ऐसी स्थिति मे गोदनामा साबित नही होता है। अधीनस्थ न्यायालय मे स्व0 रामलाल की पत्नी तुलसाबाई के बयान हुये है जिसमे उसने कथन किया है कि उसने किसी को गोद नही रखा। गांव वालो के बयान लिये है जिससे भी गोदनामा साबित नही होता है। विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने प्रकरण मे एआईआर एस0सी0 पेज 962, डीएनजे (राज0) 2017 (4) पेज 1794, डीएनजे (राज0) 1998 पेज 678 का न्यायिक उद्धरण पेश कर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है अतः अपील का गुणावगुण पर विचार करने से पूर्व मियाद के बिन्दू को निर्णित किया जाना न्यायोयचित है। अपीलांट द्वारा आलोच्य आदेश/निर्णय दिनांक 19.4.2017 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.7.17 को रेस्पो0 कम–1 के जंवाई द्वारा बताने पर होना वर्णित करते हुये प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है जिसके खण्डन मे रेस्पो0 द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रकरण मे पेश नही किया गया किन्तु बहस के दौरान अपील मियाद बाहर होने से खारिज करने का कथन किया गया। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों के खण्डन मे रेस्पो0 द्वारा कोई खण्डन नही किया नाही खण्डन मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये गये ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यो को अविश्वसनीय माने जाने का अपील प्रकरण मे कोई आधार अभिलेख मौजूद नही है लिहाजा अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से न्यायहित मे विलम्ब अवधि क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 प्रकरण का गुणावगुण के आधार विचार किया गया। अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार पर मनन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ/परीक्षण न्यायालय ने रिकार्ड एवं रिपोर्ट पटवारी, ग्राम पंचायत तिसाया का प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण, लिखवट दिनांक 2.5.99 बयान पीडब्लू 1 लगा0 6 तथा डीडब्लू 1 लगायत 3 का अवलोकन कर राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत लिखावट खातेदार रामलाल की मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात तुलसीबाई की तरफ से लिखी होना, जबकि तुलसाबाई द्वारा कोई लिखावट नही लिखना तथा अपना अंगेठा निशानी करने से इंकार करने एंव दिनांक 2.5.99 को लिखी गई लिखावट जिसे अपीलांट गोदपुत्र होना बताता है गोदपत्र की अनिवार्य शर्ते पूर्ण नही होने से अमान्य कर अपीलांट राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर रेस्पो0 द्वारा नामा0 खोलने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये जिस प्रकार ग्राम खेडली केसो का नामा0 सं0 235 मृतक रामलाल के बजाय पत्नी तुलसां व पुत्री पंसूरी के नाम खोला गया है तदानुसार ही ग्राम मजरावता के ख0 नं0 97 रकबा 1.59 है0 के हिस्सा 1/4 पर मृतक रामलाल के बजाय उत्तराधिकारी पत्नी तुलसां व पुत्री पंसूरी के नाम नामान्तरकरण खोले जाने का दिनांक 19.4.2017 को निर्णय पारित किया

है। अधीनस्थ न्यायालय ने जेरअपील निर्णय प्रकरण मे पटवारी व ग्राम पंचायत तिसाया का प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, लिखावट दिनांक 2.5.99 तथा उभय पक्षकारो के बयान लेकर प्रकरण का समुचित परीक्षण कर पारित किया है अतः प्रश्नगत अपील प्रकरण मे अपीलांट का यह तर्क कि उसके अभिभाषक को प्रतिरक्षा का अवसर नही दिया समुचित आधार अभिलेख के अभाव मे स्वीकार योग्य नही है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि अपीलांट द्वारा गोदपुत्र के संबध मे जो लिखावट अधीनस्थ न्यायालय मे पेश की गई वह खातेदार रामलाल की मृत्यु के 10 वर्ष पश्चात की होना तथा रंस्पो0 तुलसा द्वारा कोई लिखावट नही लिखना तथा अपना अगूंठा निशानी होने से इंकार किया है ऐसी स्थिति मे गोदपत्र की अनिवार्य शर्ते पूर्ण नही होने से अमान्य कर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने गोदपत्र की शर्ते पूर्ण नही होने से विरासत के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज करने का आलौच्य निर्णय पारित किया है जो उचित प्रतीत होता है। अपीलांट अपने गोदपुत्र होने के संबध मे सक्षम सिविल न्यायालय मे चाराजोही करने के लिये स्वतंत्र है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है।

8 निर्णय आज दिनांक 7.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(प्रियंका गोस्वामी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा